Indian J. Soc. & Pol. 09 (01) :91-96 : 2022 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 JANUARY 2022 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिताः दशा और दिशा

जितेन्द्र कुमार मिश्र[1]

[1]असिस्टेण्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

ABSTRACT

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत में महिलाओं का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैदिक काल में महिलाएँ जीवन के सभी क्षेत्रों में सहभागी रहीं लेकिन मध्यकाल एवं ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति में निरंतर गिरावट आया, धीरे–धीरे महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर की चहारदीवारी तक सीमित था, वहीं आज उनकी बढ़ती भूमिका धरा से अंतरिक्ष तक विस्तृत हो गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक है जिसमें से 58 करोड़ से अधिक आबादी महिलाओं की है, जो आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। देश की प्रगति में इस आबादी की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उनसे संबंधित वंचनाओं को दूर किए बिना लोकतंत्र सर्वसमावेशी नही हो सकता। भारत के संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों में समानता और नागरिक के रुप में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गये हैं। इसके बावजूद राजनीतिक समानता, न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं, इसके साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानता भी आवश्यक है।

KEYWORDS: *राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक न्याय, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, आधी आबादी, नारीवाद।*

भारत ही नही अपितु विश्व के बहुत सारे देशों में समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग जिसे न्याय से वंचित रखा गया है, वह है महिला वर्ग। सदियों से वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से बहिष्कृत होती रही है, वस्तुतः सभी स्तरों विशेषकर राजनीतिक स्तर में आधी आबादी की राजनीतिक सहभागिता न्यून रही है। कोई भी राष्ट्र अपनी आधी आबादी को अधिकारों से वंचित कर सुखी और समृद्ध नही हो सकता। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया तबतक सम्यक गति और दिशा नही पकड़ सकती जबतक उसके समस्त नागरिकों का पुरजोर योगदान सुनिश्चित नही हो जाता। लैंगिक विषमता से पीड़ित भारतीय समाज को समरसता प्रदान करने में महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक सहभागिता अत्यावश्यक है।

राजनीतिक सहभागिता का अर्थ है राजनीतिक प्रक्रियाओं में जनसाधारण की प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से भागीदारी। जब शासन के संचालन में लोग सहभागी बनते हैं तो इसे राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है, इसे लोकतंत्र का प्राण तत्व भी कहा जाता है। सामाजिक समझौता विचारक रुसो और गणतंत्रवादियों ने इसकी चर्चा की थी, लेकिन वास्तविक रुप में इसका सूत्रपात व्यवहारवादियों द्वारा किया गया। राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक विकास को गतिशील बनाती है तथा व्यवस्था को उदार बनाती है, राजनीतिक सहभागिता विकसित तथा विकासशील सभी देशों मे पायी जाती है, यह मात्रात्मक के स्थान पर गुणात्मक होती है। नागरिकों की शैक्षिक योग्यता, मानसिक स्तर और राजनीतिक चेतना ही राजनीतिक सहभागिता का निर्धारण करती है, अफ्रीकी और एशियाई देशों में जहाँ शिक्षा का स्तर न्यून है, राजनीतिक उदासीनता पायी जाती है।

राजनीतिक सहभागिता एक सचेतन प्रक्रिया के रुप में समझी जा सकती है, जिसमें सहभागी राजनीतिक प्रक्रिया के चरण विशेष में अपनी सक्रियता के मत्तव्यों, उद्देश्यों और प्रभावों के प्रति जानकारी रखते हुए विकल्पों का विवेक सम्मत चयन करता है, इस प्रकार वास्तविक और सार्थक सहभागिता लोक प्रशिक्षण की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोगों की राजनीतिक सहभागिता के आयाम या मात्रा भी अलग–अलग हो सकती है, राजनीति में सहभागी लोग तीन प्रकार के माने जाते हैं– प्रथम श्रेणी में वे लोग आते हैं जो राजनीतिक गतिविधियों में मात्र दर्शक की भाँति भाग लेते हैं, इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति राजनीति से उदासीन तो नही रहते लेकिन उनकी राजनीति में सहभागिता मात्र औपचारिक रुप से होती है, ऐसे व्यक्ति केवल अवसर आने पर ही राजनीति में सहभागी बनते हैं, द्वितीय श्रेणी में वे लोग आते हैं, जो सक्रिय रुप से सहभागी नही होते हुए भी पूर्णतः उदासीन नही रहते। तृतीय श्रेणी में वे लोग आते हैं जो राजनीति को एक पेशे के रुप में अपनाते हैं तथा अपना अधिकांश समय व संसाधन राजनीतिक कार्यों में व्यय करते हैं, इनमें निम्न गतिविधियाँ शामिल हैं–

1. राजनीतिक प्रचार
2. राजनीतिक दल की सक्रिय सदस्यता
3. राजनीतिक दल की चुनावी रणनीति में भागीदारी

1: Corresponding Author

4. राजनीतिक गतिविधियों के लिए चंदा इकट्ठा करना
5. चुनाव में उम्मीदवारी अथवा समर्थन
6. दलीय नेतृत्व या राजनैतिक पद आदि।

महिलाओं के संदर्भ में देखें तो अधिकांशतः जनसमुदाय सक्रिय राजनीति मे या तो विरक्त रहता है अथवा सतही तौर पर उसमे रुचि रखता है। समाज का एक छोटा तबका ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है, अधिकांशतः लोकतांत्रिक समाजों मे भी स्थिति वही है।

यदि इस राजनीतिक सहभागिता के प्रश्न को महिलाओं के विशेष संदर्भ मे समझा जाये तो कहा जा सकता है कि महिलाओं को सामाजिक रुढ़ियों परम्परागत रुप से विद्यमान रही असमानतापूर्ण और शोषण की सामाजिक स्थितियों और उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाली परिस्थितियों तथा अज्ञान और अशिक्षा की निर्योग्यताओं से मुक्त किये बिना उनके द्वारा राजनैतिक अधिकारों के स्वतंत्र रुप में प्रयोग और राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनकी सार्थक भागीदारी की कल्पना भी नही की जा सकती।

भारतीय समाज में महिलाएँ एक ऐसे वर्ग का निर्माण करती हैं जो कि परम्परागत रुप से प्रताड़ना, उपेक्षा व पिछड़ेपन का शिकार रहीं हैं। अतः जब संविधान की प्राथमिकताओं के अनुरुप समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने की बात आती है तो महिला वर्ग उसमें प्रमुख रुप से आता है। यह निर्विवाद तथ्य है कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता वर्तमान में अपेक्षित स्तर पर विद्यमान नही है। यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि सांविधानिक और कानूनी रुप से समानता की घोषणा के पश्चात् भी यदि महिलाएँ राजनीतिक प्रक्रिया में समान रुप से भागीदार नही हैं तो इसके लिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी उत्तरदायी रही है।

औपनिवेशिक शासन काल में राष्ट्रीय चेतना के उदय के साथ ही धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता और उनकी स्थिति में सर्वतोमुखी सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया, क्योंकि वे मानते थे कि महिलाओं की सहभागिता के बिना राष्ट्रीय चेतना संभव नही है। महात्मा गाँधी का यह स्पष्ट मत था कि अहिंसक साधनों से सामाजिक व राजनीतिक चेतना में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी अत्यन्त प्रभावी व विश्वसनीय सिद्ध हो सकती है। महात्मा गाँधी के इस मत की यथार्थता को स्वतंत्रता के लिए आन्दोलन के समय महिलाओं ने सक्रिय रुप से भाग लेकर सिद्ध भी किया।

प्रायः स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का हम गौरवपूर्ण स्मरण करते हैं, किन्तु यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि उस युग में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता स्वतंत्रता के पश्चात् अपेक्षित राजनीतिक सहभागिता की पृष्ठभूमि नही बन सका। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उस युग में यह सहभागिता सामाज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में सहभागिता थी, सत्ता में भागीदारी के लिए किसी अन्य वर्ग से प्रतियोगिता को व्यक्त नही करती थी, जबकि आज राजनीतिक सहभागिता का संदर्भ है राजनीतिक सत्ता और निर्णय प्रक्रिया में समान अधिकार की अपेक्षा के साथ राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अन्य किसी वर्ग की प्रतिद्वंदिता के बावजूद भागीदारी। अतः स्वाभाविक रुप से स्वतंत्रता के उस काल में महिलाओं की सहभागिता के प्रति किसी अन्य सहभागी का प्रतिरोध नही था। जबकि आज महिलाओं को अपनी सहभागिता अन्य प्रतिद्वंदी और प्रतिरोधक शक्तियों, हितों और परिस्थितियों के विपरित सुनिश्चित करनी है।

भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की महिलाएँ अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि मे हिस्सा ले रही हैं। आधुनिक काल में सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गाँधी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, सोनिया गाँधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आदि ने भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाई है, इसके बावजूद विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनु0 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नही करने (अनु0 15(6)), अवसर की समानता (अनु0 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनु0 39 (1)) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाये जाने की अनुमति देता है। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का काम करने (अनु0 15(a)e) और साथ ही कम की उचित व मानवीय परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है (अनु0 42)।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नारीवादी आन्दोलनों का प्रभाव भारत में भी पड़ा और अनेक महिला संगठनों की स्थापना हुई, यथा इलाभट्ट के नेतृत्व में सेवा (SEWA), वीना मजूमदार के नेतृत्व में संटर फॉर वूमन स्टडीज, प्रगतिशील महिला संगठन, अस्मिता, पुरोगामी महिला संगठन, सहेली आदि।

भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए 1974 में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया। इसी के आधार पर 1987 में महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा की गई। महिला सशक्तिकरण नीति के अनुरुप 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया तथा 73वें व 74वें संशोधन

अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं को एक तिहाई सीट पर आरक्षण दिया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2001 को महिलाओं के सशक्तिकरण (स्वशक्ति) वर्ष के रुप में घोषित किया था। महिलाओं के सशक्तिकरण को राष्ट्रीय नीति वर्ष 2001 मे पारित की गई थी। अंतर्राट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया जिसे संसद और राज्य की विधानसभाओं ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत की आरक्षण की व्यवस्था है।

आज महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरुक और संगठित हो रहीं हैं, वर्तमान में संसद एवं विधान सभाओं मे आरक्षण की माँग हो रही है। वर्ष 2010 में सरकार ने राष्ट्रीय महिला नीति की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों मे महिलाओं की भूमिका बढ़ाना तथा हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण के मुख्य पाँच अवयव हैं– महिलाओं को अपने अधिकार और उनको निर्धारित करने की स्वतंत्रता, समान अवसर और सभी प्रकार के संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार, घर के अन्दर और बाहर स्वयं के जीवन को विनियमित करने और नियंत्रित करने का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में योगदान करने की महिलाओं की क्षमता तथा महिलाओं में गरिमा तथा आत्म मूल्य की भावना का विकास।

जे0एस0मिल के अनुसार ''महिलाओं की अयोग्यता किसी भी प्रकार उनकी बौद्धिक प्रतिभा की कमी का लक्षण नही है, बल्कि यह उनकी सदियों की दासता का परिणाम है, यदि नारी और पुरुष में कोई अंतर है तो भी पुरुष की अपेक्षा नारी को मतदान के अधिकार की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से पुरुष की तुलना में निर्बल होने के कारण उसे अपनी सुरक्षा के लिए कानून और समाज पर निर्भर रहना पड़ता है।''

नारीवादी विचारकों का मानना है कि घरेलू और वाह्य क्षेत्र में श्रम विभाजन की धारणा ने महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर रोक लगा दिया।

लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी। मतदान में भाग लेने वाले एक मतदाता की मत देने की क्रिया मात्र को राजनीतिक सहभागिता नही माना जा सकता, किन्तु यदि वह मत देने, मतदान के मुद्दों व उद्देश्यों व विकल्पों की सटीक पहचान तथा अपने सुनिर्धारित दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति को अभिप्रेरित कर रहा है तो उसे राजनैतिक प्रक्रिया का वास्तविक सहभागी माना जा सकता है।

भारत आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है हम स्वतंत्रा प्राप्ति के 75वें वर्ष में प्रवेश किये हैं, हमें इस बात पर गर्व है कि अनेक विकासशील देशों की तुलना में भारत मे लोकतत्र सफल रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भारत में आम चुनावों में अनेक बार सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ है, दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में भी विकास के नये सोपान अर्जित किये जा सके हैं, किन्तु यह आज भी अवलोकन का विषय है कि क्या हम उन मूलभूत लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल रहे हैं जो संविधान के निर्माण के समय भारतीय राज्य व्यवस्था के आदर्शों और लक्ष्यों के रुप में चिन्हित किये गये हैं।

संविधान के निर्माण के अवसर पर यह स्वीकार किया गया था कि वास्तविक लोकतंत्र केवल राजनीतिक नही हो सकता। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र राजनैतिक लोकतंत्र की यथार्थता की अनिवार्य पूर्व शर्त है। इसी कारण संविधान में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक तथ्य को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रुप में स्वीकार किया गया है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान निर्माताओं द्वारा राजनैतिक न्याय से पूर्व सामाजिक व आर्थिक न्याय के प्रति संकल्प की अभिव्यक्ति में यह भावना स्वतः अर्न्तनिहित है कि राजनैतिक लोकतंत्र, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का अनुरुप है तथा उसकी सफलता के लिए अनिवार्य है, यह स्पष्ट था कि राजनैतिक न्याय की प्राप्ति अर्थात राजनैतिक प्रक्रिया और सत्ता में सभी वर्गों की न्यायसम्मत भागीदारी को सुनिश्चित करने के लक्ष्य की प्राप्ति व्यापक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से ही सम्भव थी। इन परिवर्तनों के माध्यम से समाज के दुर्बल और वंचित वर्गों खासकर महिलाओं को उन परम्परागत निर्योग्ताओं से मुक्त किया जाना अपेक्षित था जो उनकी क्षमताओं को कुंठित करती है और वास्तविक समानता का उपयोग करने में उनके अवसरों को बाधित करती रही है।

भारत की चुनाव व्यवस्था के अध्ययन से हम पाते हैं कि यहाँ सभी को स्थान मिला है, और यह सभी को साथ लेकर चली है, हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे–धीरे बदली है, अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं, यद्यति इनमें अभी महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि नही हुई है। भारत में संविधान लागू होने के साथ ही व्यस्क स्त्री–पुरुष (वर्तमान मे 18 वर्ष आयु प्राप्त) को मताधिकार दिया गया। अनु0 326 मे यह प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक को जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति के भेदभाव बिना समान मतदान का अधिकार प्राप्त है। भारत में महिलाओं को प्राप्त यह राजनीतिक शक्ति (मतदान का अधिकार) निःसंदेह सामाजिक न्याय प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने की दिशा में भी यह आवश्यक कदम है। इसके परिणाम स्वरुप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं सहित स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। संविधान लागू होने के 71 वर्षों के दौरान लोकसभा के 10 आम चुनाव एवं विधानसभाओं के

अनेक चुनाव सम्पन्न हुए हैं। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव 1951–52 में हुआ। पहले आम चुनाव में कुल 22 महिला लोकसभा सदस्य थीं जिनकी भागीदारी 4.4 प्रतिशत थी। जबकि राज्यसभा में कुल 16 महिला सदस्य थी जिनकी भागीदारी 7.31 प्रतिशत थी। संलग्न डाटा से स्पष्ट है कि महिलाओं की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हुई, हालांकि यह अभी भी अपर्याप्त है। 16वें लोकसभा में कुल महिला सदस्य 61 (11.2%) तथा 17वें लोकसभा में कुल 78 महिला सदस्य (14.3%) हैं।

1952 से 2019 तक संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

सल	लोकसभा			राज्यसभा		
	सीटें	लोकसभा की महिला सदस्य	महिला संसद सदस्यों का प्रतिशत	सीटें	राज्यसभा की महिला सदस्य	महिला संसद सदस्यों का प्रतिशत
1952	499	22	4.4	219	16	7.31
1957	500	27	5.4	237	18	7.59
1962	503	34	6.8	238	18	7.56
1967	523	31	5.9	240	20	8.33
1971	521	22	4.2	243	17	7.00
1977	544	19	3.4	244	25	10.25
1980	544	28	7.9	244	24	9.84
1984	544	44	8.1	244	28	11.48
1989	517	27	5.3	245	24	9.80
1991	544	39	7.2	245	38	15.51
1996	543	39	7.2	123	20	8.52
1998	543	43	7.02	245	15	6.12
1999	543	49	9.02	245	19	7.76
2004	543	45	8.1	245	28	11.40
2009	543	59	10.9	245	27	11.00
2014	543	61	11.2	245	31	12.70
2019	543	78	14.3	245	25	10.20

स्रोत : सी0एस0डी0एस0 दिल्ली (सांख्यिकी इकाई)

उत्तर प्रदेश में 17वीं विधानसभा के लिए हुए चुनावों मे 403 सदस्यों मे से 42 महिला सदस्य (10.42%) चुनी गई, इनमें से भा0ज0पा0 के 36 सदस्य तथा अन्य दलों के 6 सदस्य हैं। जबकि 16वीं विधानसभा में कुल 35 महिला सदस्य थी, 15वीं में 23 (5.7%) थीं। वस्तुतः महिलाओं की चुनाव सहभागिता को देखते हुए मतदान प्रतिशत में वृद्धि के रुझान देखे गये हैं, किन्तु कुछ ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों मे महिला सहभागिता में कमी भी देखी गयी है। मतदान के अधिकार तथा स्वतंत्र चुनाव प्रणाली के चलते भिन्न–भिन्न भागों में रहने वाली महिलाएँ राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेकर सुअवसर एवं सत्ता में भागीदारी की खोज कर रही हैं।

भारतीय चुनाव में प्रारंभ से ही महिला प्रतिनिधित्व के प्रति उपेक्षा रही है, यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि सभी राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं तथा उन्हें विधायिकाओं में 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का वायदा भी कर रहे हैं, जब प्रत्याशी खड़े करने की बात आती है तो अधिकांश दल महिला प्रत्याशियों की उपेक्षा कर देते हैं।

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने सभी पंचायती संस्थाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। पंचायत के सभी पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रावधान नें महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए मंच और माहौल तैयार किया। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान के कारण इन संस्थाओं में भारी संख्या में इनकी मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण के कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष एवं सरपंच के पदों पर आसीन हुई हैं। आज कम से कम 200 महिलाएँ जिला पंचायतों की अध्यक्ष है। 2000 से अधिक महिलाएँ प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों की संख्या 80000 से ज्यादा है। संसाधनों पर अपने नियन्त्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज्यादा शक्ति और आत्म विश्वास अर्जित किया है, इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों की राजनीति के काम–धंधे की समझ पैनी हुई है।

लोकसभा में महिलाओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी का विश्लेषण एक पिरामिड माडल के रुप में किया जा सकता है, इसमें सबसे ऊपर लोकसभा में 1952 में मौजूदगी, 22 को रखा जा सकता है जो 2014 में 61 से 2019 में 78 तक आ गई है। लेकिन लैंगिक भेदभाव अब भी भारी मात्रा में मौजूद है। चुनावों में टिकट न देने की नीति न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों की है बल्कि क्षेत्रीय पार्टियाँ भी इसी राह पर चल रही हैं और इसकी वजह बताई जाती है उनमें जीतने की क्षमता कम होना, जो चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है। लोकसभा और फैसले लेने वाली जगहों जैसे कि मंत्रिमण्डल में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व सीधे–सीधे राजनीतिक ढाँचे से उनके सुनियोजित ढंग से बाहर रखनें और मूलभूत लैंगिक भेदभाव को रेखांकित करता है। हालांकि महिलाएँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ठीक–ठाक संख्या में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन इन राजनीतिक दलों में भी उच्च पदों पर महिलाओं की भागीदारी कम ही है। साथ ही वह राजनीतिक दलों में नीति और रणनीति के स्तर पर बमुश्किल ही कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यदि हम चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी देखें तो 1962 के 46.6 प्रतिशत से लगातार बढ़ी है यह 2014 के आम चुनाव में 65.7 प्रतिशत थी जबकि 2019 के आम चुनाव में लगभग 67 प्रतिशत थी। 1962 के चुनावों में पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच अंतर 16.7 प्रतिशत से घटकर 2014 में 1.5 प्रतिशत हो गया तथा 2019 में 0.4 प्रतिशत हो गया।

हाल ही में लोकनीति CSDS (Centre for Study of Developing Societies) और कोराड एडेनायर स्टिफटंग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जिसमें भारतीय महिलाओं और उनकी राजनीतिक सक्रियता से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया गया। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि महिलाओं की चुनावी भागीदारी में उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विशेष प्रभाव होता है। उच्च सामाजिक वर्ग (जाति) व आर्थिक वर्गो की महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी अधिक पायी गई, जबकि निम्न सामाजिक–आर्थिक तबके की महिलाओं में यह भागीदारी अत्यधिक कम थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में मतदाता के रुप मे महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, अनेक राज्यों में हुए विभिन्न चुनावों में महिलाएँ पुरुषों के समान मतदान कर रही हैं, जबकि कई स्थानों पर वे पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान कर रही हैं।

उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी समय के साथ–साथ बढ़ी हुई है जिसमें विभिन्न कानूनों, योजनाओं, कार्यक्रमों के तहत महिला उन्नति के प्रयास शामिल हैं फिर भी पुरुषों की संसद एवं विधायिकाओं में भागीदारी की तुलना में यह बहुत कम है, जिसके निम्नलिखित संभावित कारण या बाधक तत्व हैं–

- पितृ सत्तावादी विचारधारा के वजह से महिलाओं के विचारों एवं मतो को उतना महत्व नही दिया जा सका है, जितना दिया जाना चाहिए।
- स्थानीय स्तर पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में चुनी हुई महिला सदस्यों की जगह उनके मतियों एवं परिवार के सदस्यों के निर्णयों को सामाजिक स्वीकृति। इन मामलों में महिला नाममात्र की प्रमुख होती है, जबकि वास्तविक निर्णय उनके पति लेते हैं।
- महिला साक्षरता एवं जागरुकता के अभाव में अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होती है, जिसके कारण वे नीति निर्माण व शासन में प्रभावशाली भूमिका नही निभा पाती है।
- सांस्कृतिक कारण भी महिलाओं को उनकी मुखर अभिव्यक्ति से रोकते हैं, जैसे परिवार के स्तर पर उनकी नीति निर्माण में सीमित भूमिका जो उनके वैयक्तिक विकास को बाधित करती है। सांस्कृतिक प्रतिबन्धों में पर्दा प्रथा, किसी अन्य पुरुष से बातचीत न करना, घर से बाहर न निकलना आदि हैं।
- लिंग असमानता एक प्रमुख बाधक तत्व है। शिक्षा, संपत्ति, घरेलू एवं बाह्य क्षेत्रों में कार्य के संबंध मे पितृ सत्तात्मक सोच महिला नेतृत्व के विकास में बाधक है। इस सोच के कारण सभी स्तरों पर महिलाओं को संसाधनों तक पहुँच पर रोक लगी और उनकी भूमिका घर तक सीमित हो गई।
- परिवार की जिम्मेदारी और कार्य की प्रकृति भी महिलाओं को राजनीति से दूर करती है, इनका ज्यादातर समय घरेलू कार्यों में व्यतीत हो जाता है। राजनीति या सार्वजनिक क्षेत्र में कम रुचि भी इन्हें सक्रिय राजनीति से दूर करती है।
- लिंग के आधार पर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक बंधन राजनीति में इनके प्रवेश के अवसरों को सीमित करता है।
- कई महिलाएँ व्यक्तिगत कारणों की वजह से भी राजनीति में सक्रिय रुप से भाग नही लेती। ये व्यक्तिगत कारण हैं– राजनीति में रुचि न होना, जागरुकता का अभाव, शैक्षिक पिछड़ापन आदि।
- कमजोर सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि भी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी में अवरोध उत्पन्न करते हैं। उच्च जाति एवं उच्च आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहती है।
- आम लोगों में राजनीति की नकारात्मक छवि तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से भी महिलाएँ राजनीति में कम रुचि लेती हैं।
- महिलाओं की भागीदारी को लेकर सभी दलों की उदासीनता बनी हुई है। इसका एक कारण यह भी है कि पुरुष राजनीतिज्ञों को इस बात का भय रहता है कि महिलाओं के निर्वाचन से उनके दोबारा चुने जाने की संभावना कम या समाप्त हो सकती है, जिसके लिए वे तैयार नही हैं।

उपर्युक्त कारणों से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता कम है, इसके कारण उनके हक में आवाज उठाने वालों की कमी पायी जाती है, कम राजनीतिक सहभागिता के कारण महिलाओं के लिए नीति निर्माण भी व्यवहारिक नही हो पाता। भारतीय राजनीति को इस स्थिति में सुधार के लिए त्वरित उपाय अपनाने की आवश्यकता है, जिसमे से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं–

➢ शासन एवं नीति निर्माण में उनकी संख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए महिला आरक्षण विधेयक को पास करके उसे क्रियान्वित करना बेहतर पहल हो सकती है। इससे महिला भागीदारी बढ़ने के साथ–साथ उनकी जटिल समस्याओं का भी निदान हो पायेगा।

➢ स्थानीय निकायों स्तर पर चुनी हुई महिला सदस्यों को प्रशिक्षण देकर क्षमता निर्माण किया जा सकता है ताकि उन पर पुरुषों के मतों या विचारों के वर्चस्व को कम किया जाए।

➢ महिलाओं में साक्षरता एवं जागरुकता की दृष्टि के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकें।

➢ प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह एवं भेदभाव के समाधान हेतु आचरण संहिता तथा दिशा निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

➢ पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा पितृ सत्तात्मक विचारधारा को हतोत्साहित करना चाहिए।

➢ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तभी हो पायेगी जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी जरुरतें पूरी हो। इनकी पूर्ति के बिना राजनीतिक भागीदारी नही हो पायेगी।

➢ सभी राजनीतिक दलों पर यह बाध्यता लागू की जानी चाहिए कि एक निश्चित मात्रा/प्रतिशत में महिलाओं को विधानसभा एवं संसद के टिकट वितरण में भागीदार बनायें।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में क्रमशः बढ़ोत्तरी हुई है, फिर भी विभिन्न नीतियों, उपायों, कार्यक्रमों, शिक्षा में बढ़ोत्तरी आदि के बावजूद महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता अपने वांछित स्तर को प्राप्त नही कर पायी है। हमें यह नही भूलना चाहिए कि किसी भी देश के संपूर्ण विकास के लिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की अधिकतम भागीदारी का आवश्यकता है। जनसंख्या के लगभग आधे हिस्से की क्षमता का कम उपयोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए गंभीर बाधा है। समय आ गया है कि एक स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, सशक्त, सहभागी भारत के निर्माण के लिए महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि का त्वरित प्रयास किया जाये।

REFERENCES

गेना की0बी0 (2007) *तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ,* दिल्ली, चंद प्रकाशन,

जौहरी, जे0सी0 तथा जौहरी सीमा (1992) *आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त,* स्टलिंग पब्लिशर्स प्रा0लि0

गावा ओ0पी0 (2001) *राजनीति सिद्धान्त की रुपरेखा,* मयूर पैपर बैंक,

नारंग ए0एस0–(2003) *भारत में लोकतंत्र : समस्याये और चुनौतियाँ,* NCRT,

कश्यप सुभाष– *कोलाइशन गवर्नमेंट एण्ड पालिटिक्स ऑफ इंडिया,* नई दिल्ली , उप्पल प्रकाशन,

बसु डी0डी0– *भारत का संविधान : एक परिचय,* नई दिल्ली प्रेस्टिस हाल ऑफ इंडिया प्रा0लि0,

वर्मा एस0पी0 एण्ड नारायण साई (1973) वोटिंग विहैवियर इन ए चेकिंग सोसायटी, नई दिल्ली, नेशनल प्रकाशन,

सांख्यिकी रिपोर्ट सी0एस0डी0एस0 दिल्ली

सिंह, नमिता, (2017) स्त्री प्रश्न,नई दिल्ली वाणी प्रकाशन,

कोठारी रजनी (2020) *भारत में राजनीति : कल और आज,* नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन